विविध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 93/2018 (RCMS 2018/00174)
ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव बरूवाला चक 19 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. राजाराम पुत्र भागाराम जाति सिद्ध निवासी कालूसर 2. सोहनलाल पुत्र चानणराम जाति ब्राह्मण निवासी 165 आर.डी. 3. बलवीर पुत्र अन्ना राम जाति सिद्ध निवासी कालूसर 4. महावीर पुत्र मागसिंह जाति राजपूत निवासी 165 आरडी वगैरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.09.2018

प्रार्थी श्री ओमप्रकाश उपस्थित है। उसे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण राजाराम वगैरा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अनवानी राजाराम वगैरा बनाम ओमप्रकाश वगैरा अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 134/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में प्रस्तुत किया गया, जिसमे आगामी तारीख पेशी 03.10.2018 मुकर्रर है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ अब इस प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशीयां दे रहे है और सीधे ही रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा प्रार्थी(अप्रार्थी) को सम्मन जारी कर दिये गये और एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई। जबकि रजिस्टर्ड सम्मन में एक माह की समयावधि की पेशी देना अनिवार्य है परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा इसकी पालना नही की गई है। उसका आगे यह भी कथन है कि जबकि अप्रार्थीगण को इसकी तामिल नही हुई इसके बावजुद भी उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मुंतकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु स्वीकार किया जावे ।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है और विधायक राजेन्द्र भादू का दबाव पीठासीन अधिकारी पर बनाकर अपने पक्ष में फैसला करवाने का ऐलानिया कह रहे है और दिनांक 12.09.2018 को अप्रार्थीगण 1 ता 6, विधायक श्री राजेन्द्र भादू को अपने

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

साथ लेकर उपखण्ड अधिकारी को मिले इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सुनवाई हेतु उक्त प्रकरण स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे और उपखण्ड अधिकारी को उक्त प्रकरण में आगे किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से रोका जावे।

मैनें प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा की गई बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने प्रकरण संख्या 134/2018 अनवानी राजाराम वगैरा बनाम ओमप्रकाश वगैरा अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ से निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निस्तारण हेतु मुंतकिल किये जाने के लिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है।

पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अधिनस्थ न्यायालय कीआर्डरशीट दिनांक 30.08.18 के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी संख्या 4 –5/1 की पुनः रजिस्टर्ड तलवी हेतु व अप्रार्थीगण संख्या 1–2–6/1 ता 6/3–7/1–8 के जवाब हेतु पत्रावली लम्बित है **जिससे स्पष्ट है कि अभी प्रकरण बहस की स्टेज पर नहीं है और जहॉ तक एक्स पार्टी किये जाने का प्रश्न है उसके लिए पार्टी नियमानुसार कानुनी उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है।**

प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर स्थानीय विधायक के प्रभाव में होने का आरोप लगाया है और यह आशंका जाहिर की है कि उसे अधिनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। **यह आरोप एक साधारण प्रकृति का है और ऐसा आरोप कभी भी किसी पर, किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अगर वास्तव में प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है, और न ही अभी मुकदमा बहस/निर्णय की अवस्था में है। इसलिए प्रार्थी का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर